राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1676/2024

अनिता कुमारी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, बीकानेर।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ़, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.04.2024
आदेश की दिनांक : 23.04.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप गर्सा, अधिवक्ता

आदेश

मामले की आवश्यकता प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी एक विधवा महिला है, उसके पति की मृत्यु दिनांक 19.02.2019 को हो गई और अपीलार्थी के ससुर और सास की भी क्रमशः दिनांक 21.04.2015 एवं 31.12.20214 को मृत्यु हो गई थी (अनुलग्नक–1)। अपीलार्थी के दो नाबालिग बेटे है, बड़ा बेटा आयुष, जो 60 प्रतिशत से अधिक स्थायी विकलांगता के कारण विकलांग है और अपीलार्थी की मदद के बिना नियमित कार्य नहीं कर सकता है। अपीलार्थी के पुत्र का विकलांगता प्रमाण पत्र अनुलग्नक–2 पर है। अपीलार्थी को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 में विधवा श्रेणी में अध्यापक ग्रेड–III के पद पर नियुक्त किया गया था और अपीलार्थी को आदेश दिनांक 30.09.2023 (अनुलग्नक–3) द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय, वार्ड नं. 11, जैसलमेर में पदस्थापित किया गया। उक्त आदेश के अनुसरण में अपीलार्थी ने दिनांक 04.10.2023 (अनुलग्नक–4) द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया। शालादर्पण विवरण के अनुसार अपीलार्थी को पता चला कि जिला झुंझुनूं में अध्यापक ग्रेड–III के कई पद रिक्त है और अपीलार्थी के मूल स्थान के पास कई पर रिक्त है। अपीलार्थी ने दिनांक 26.09.2023 एवं 12.01.2024 (अनुलग्नक–5) द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी के पति का देहांत हो चुका है तथा सास व ससुर का भी देहांत हो चुका है।

अपीलार्थी के दो पुत्र है। अपीलार्थी का एक पुत्र जन्म से ही पूर्णरूप से विकलांग है। अपीलार्थी के पुत्र की देखरेख करने वाला अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। अपीलार्थी को गृह जिले में पदस्थापित किया जावे तथा अपीलार्थी की पारिवारिक परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अपीलार्थी का पदस्थापन झुन्झुनूं जिले में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, वार्ड नं. 16, झुन्झुनूं, शहीद इन्द्र सिंह राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सैनिकपुरा, वार्ड नं. 52, झुन्झुनूं एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, चैलासी, झुन्झुनूं में से किसी एक विद्यालय में रिक्त पर किए जाने का निवेदन किया। परन्तु अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को गृह जिले झुन्झुनूं में उसके द्वारा अभ्यावेदन (अनुलग्नक–5) में उल्लेखित रिक्त पद या किसी अन्य रिक्त पद पर समायोजित किया जाए।

हमने विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन लम्बित है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत किए गये अभ्यावेदन को राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य